न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 176 / 2024 — निर्णय दिनांक 24.04.2026

ऑनलाईन नम्बर 2024 / 366

दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 10 जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करती है कि वादी के पिता रेवन्तराम पुत्र चुनाराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर की [redacted]क संयुक्त खातेदारी का के खेत खसरा नं. 325,326 कुल तादादी 12.5100 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चोटियान व खसरा नं. 358,400 कुल तादादी 6.9600 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर में स्थित है। वादी के पिता रेवन्तराम की मृत्यु के बाद वादगत खेतों में रेवन्तराम के वारिसान वादी व वादी के भाईयों के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 1253 दिनांक 08.02.2019 को 1 / 5, 232 / 6255 हिस्सा के रूप से खातेदारी दर्ज हो गई। उपरोक्त खसरा भूमि की खातेदारी वादी व वादी के भाईयों के नाम वादी के दादा चुनाराम व पिता रेवन्तराम की मृत्यु के बाद जरिये विरासतन इन्तकाल दर्ज हुई है। वादी के पिता रेवन्तराम की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का नाम खेत खसरा नं. 325,326 वाकेरोही धीरदेसर चोटियान में दुलाराम व खेत खसरानं. 358,400 वाकेरोही सतासर में दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में दर्ज करा दिया गया । विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी से किसी प्रकार की कोई आई.डी नहीं ली गई थी और वादी को घर परिवार आदि में उनके बोलते नाम व लाड प्यार के नाम दुलीचन्द दर्ज करा दिया गया जो कि सही नहीं [redacted] न ही वादी ग्राम सतासर का निवासी है वादी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ का स्थायी निवासी है। जि समय अंतकाल दर्ज करवाया था उस समय वादी के पिता के वारिसानों का वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी का नाम दुलाराम अंकित है। वादी केवल साक्षर व ग्रामीण परिवेश की पुरुष है। वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड बने तो उसमें वादी का नाम दुलाराम अंकित करा दिया गया जो आज तक बदस्तुर चला आ रहा है। यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम दुलाराम है। वादी ने जब उपरोक्त खसरान की भूमि की जमांबदी व इन्तकाल ,आदि की नकले दिनांक 01.07.2024 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि उनके पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नं. 325, व 326 वाकेरोही धीरदेसर चोटियान में दुलाराम व खेत ख.नं. 358 व 400

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाकेरोही सतासर में दुलीचन्द अंकित है के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम अंकित कर रखा है जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही दुलाराम है तथा वादी का पता गांव जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ है उक्त पता वर्तमान में वादी के सभी दस्तावेजों मे अंकित है लेकिन उक्त खसरान की भूमि में वादी का पता सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर कर दिया है जोकि गलत है। जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में सही रूप से घोषित करवाने की अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम दुलाराम पुत्र रेवन्तराम रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित चला आ रहा है । वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में वादी का सही नाम दुलाराम अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तत की जा रही है। तथा वादी का आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों के अनुसार पता जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ है। गांव जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण के नाम की अन्य कोई पुरूष नही है। इस सम्बन्ध में वादी ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, वारिसनामा आदि किया है। वर्णित खेत खसरानं. 325,326 रोही धीरदेसर चोटियान में दुलाराम पुत्र रेवन्तराम निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ दर्ज तथा ख.नं. 358,400 रोही सतासर में दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवसी सतासर में अंकित है। जिसमें वादी का ख.नं. 325 व 326 में 232/6255 हिस्सा निहित है तथा खेत ख.नं. 358,400 में वादी का 1/5 हिस्सा निहित है। जिस पर वादी का उक्त हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम दुलाराम पुत्र रेवन्तराम व पता वार्ड नं. 10 जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त भूमि में वादी का गलत नाम व पता अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के. सी. सी. बनाने, ट्यूबवेल बनाने, विक्रय, हस्तान्तरण करने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से भी वंचित हो रहा है। वादगत खेतों में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादी ने कई बार मौके व लिखित निवेदन प्रतिवादी से किया कि मेरा नाम दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित कर दिया है। जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात में मेरा सही नाम दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की घोषणा करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के नाम की राजस्व रिकार्ड में घोषणा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास अपने सही नाम व पते की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतिवादी की इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक प्राप्ति का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेतों में वादी का नाम अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर अपने नाम की घोषणा करवाई जानी आवश्यक हो गई है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेतों में वादी का नाम व पता परिवर्तन होने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादगत खेत रोही मौजा धीरदेसर चोटियान व सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयवधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नं. 325,326 कुल तादादी 12.5100 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चोटियान में वादी के पता सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ के स्थान पर जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ अंकित किया जायें व खसरा नं. 358,400 तादादी 6.9600 हैक्टे. वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का सही नाम व पता दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ घोषित किया।

(ख) वादगत खेत खसरा नं. 325,326 कुल तादादी 12.5100 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चोटियान में वादी के पता सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ के स्थान पर जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ अंकित किया जायें व खसरा नं. 358,400 तादादी 6.9600 हैक्टे, वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का सही नाम व पता दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राह्मण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ किया जाकर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रतिवादी के नाम से जारी किये जाये और उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 358,400 कुल तादादी 6.9600 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ''दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर'' के स्थान पर ''दुलाराम पुत्र रेवन्तराम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ'' एवं खेत खसरा नम्बर 325, 326 कुल तादादी 12.5100 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज ''दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़'' के स्थान पर ''दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़'' घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 10 जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 176/2024

दावा बाबत खाता: घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 24.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 358,400 कुल तादादी 6.9600 हैक्टेयर वाकेरोही सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज "दुलीचन्द पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर" के स्थान पर "दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ" एवं खेत खसरा नम्बर 325, 326 कुल तादादी 12.5100 हैक्टेयर वाकेरोही धीरदेसर चोटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज "दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़" के स्थान पर "दुलाराम पुत्र रेवन्तराम जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 24 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.अर्जी के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)